

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1/गोप्र०) विभाग

पत्र क्रमांक: प. 13(51)/का०/क-1/गो.प्र./2016

जयपुर, दिनांक

१५ MAY 2016

अनुदेश संशोधन

राजस्थान सिविल सेवायें ( कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ) अनुदेश-2008 में अंकित राजपत्रित अधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्र को हटाया जाता है। यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से  
~~(भास्कर ए. सावंत)~~  
~~शासन सचिव~~

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
- 2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 3.उप सचिव, मुख्य सचिव।
- 4.समस्त अति-मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव
- 5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
- 6.समरत संभागीय आयुक्त।
- 7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
- 8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
- 9.एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

  
संयुक्त शासन सचिव